149

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 546—तीन/2003 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 31—12—2002 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 178/2001—02/अपील

.....

1— महिला प्रेमश्री पत्नी श्री जसराम,
2— चन्द्रप्रकाश
3— दिलीप, पुत्रगण श्री जसराम,
निवासीगण—ग्राम धरई हाल करनपुरा,
तहसील वाह, जिला —आगरा उ0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1— मायाराम पुत्र श्री अतिबल सिंह,
निवासी—ग्राम धरई, तहसील व जिला—भिण्ड, म0प्र0
2— दिनेश पुत्र श्री जसराम,
निवासी—ग्राम— धरई हाल करनपुरा
वाह, जिला—आगरा उ0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 19.9.2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 178/2001—02/अपील में पारित आदेश दिनांक 31—12—2002 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि नायब तहसीलदार सर्किल पीपरी तहसील भिण्ड ने अपने प्रकरण क्रमांक 55/98—99/अ—6 में पारित आदेश दिनांक 30.09.99 द्वारा ग्राम घरई

की विवादित भूमि का नामांतरण ग्राम–पंचायत धरई के प्रस्ताव अनुसार अनावेदक क्र0 1 मायाराम के हक में अनुमोदित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 82/2000–2001/अ.मा. पर दर्ज किया तथा पारित आदेश दिनांक 07.06.2002 द्वारा अपील को अवधिबाह्य मानकर अस्वीकार कर दिया गया । जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गई। यहॉ पर विधिवत प्रकरण क्रमांक 178/2001–02/अपील पंजीबद्ध किया गया तथा अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31.12.2002 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील को अस्वीकार किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि आवेदकगण एवं अनावेदक क्र0 2 मृतक के विधिक उत्तराधिकारीगण है। धारा–110 के नियम 27 के अनुसार उन्हें व्यक्तिगत सूचना नहीं दी गई और न ही इष्तहार का विधिवत प्रकाशन ही कराया गया । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही एवं दिया गया आदेश अधिकारवहीन होने से ऐसे आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में समयावधि का कोई प्रष्न उपस्थित नहीं होता। अनावेदक का मृतक से कोई संबंध नहीं है । पत्नी एवं पुत्रों के होते हुये मृतक संबंधित व्यक्ति को वसियत होना प्रथम दृष्टया ही शंकास्पद है । इसके साथ ही कथित वसीयत को साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सिद्ध नहीं किया गया । मृतक के पुत्र एवं पत्नी द्वारा नामांतरण की पहल न करने से उनको प्राप्त स्वत्व समाप्त नहीं हो सकते । इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त आदेश अनुमानों पर आधारित होने से निरस्तीय योग्य है । अतः अधनीस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि पूर्व भूमि स्वामी जसराम सिंह ने 16.06.98 को अनावेक क्र0 1 मायाराम के पक्ष में वसीयत की थी । आवेदकगण ने अपनी बहस में बताया है कि जसराम सिंह की मृत्यु 20.12.98 को हुई थी। उक्त वसीयत के आधार पर ग्राम पंचायत धरई ने अपने ठहराव क्रमांक 3 दिनांक 13.5.99

द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 मायाराम के नाम नामांतरण स्वीकार किया, जिसका अनुमोदन विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.09.99 को किष्या गया । आवेदक क्र01 महिला प्रेमश्री मृतक भूमि स्वामी जसराम की पत्नी तथा क्र0 2 व 3 उसके पुत्र है, जो ग्राम धरई में न रहकर ग्राम करनपुरा, जिला–आगरा (उ0प्र0) में रहते है । पति/पिता की मृत्यु के बाद मृतक के वारिसान का यह दायित्व था कि वे मृतक की भूमि के नामांतरण हेतु पहल करते, किन्तु आवेदकगण द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई । प्रकरण में संलग्न वसीयतनामें से वसीयतकर्ता जसराम ने लिखा है कि " मेरी स्वयं की खरीदी भूमि ऊपर वर्णित मेरे बुढ़ापे में बारह वर्षों से सेवा करने वाले मायाराम को वसीयत करता हूँ। मेरी पैत्रिक सम्पत्ति मेरे निवास गांव करनपुरा की मेरे लड़कों रहेगी। । यह भूमि मैंने मायाराम के पूर्वजों से खरीदी थी एवं मायाराम के बाबा ने मुझे उससमय भूमि खरीदने के लिये पैसे दिये थे एवं मेरा पूरा सहयोग किया था।" इस प्रकार यह पाया जाता है कि वसीयतकर्ता जसराम की पत्नी एवं पुत्र यह मानते थे कि जसराम द्वारा ग्राम धरई की भूमि की वसीयत अनावेदक क्र0 1 मायाराम को दी गई है एवं ग्राम करनपुरा की भूमि आवेदकगण को रहेगी। आवेदकगण का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि उनको विचारण न्यायालय द्वारा अनुमोदित नामांतरण की जानकारी नहीं थी । प्रकरण के अवलोकन से यह भी पाया गया कि प्रकरण में सूचना पत्र जारी किया गया तथा गावं में मुनादी भी कराई गई थी । आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किये गये है उनमें बताया गया हे कि विलंब माफ करने में उदार रूख अपनाया जाना चाहिये । इस तर्क से मैं सहमत हूँ, किन्तु राजस्व मंडल ने रा.नि. 2000 पृष्ठ 153 में यह अभिनिर्धारित किया है कि " विलंब की माफी पर विचार करते समय ध्यान दिया जाना चाहिये कि एक पक्षकार को अनुचित सहूलियत न दी जाये तथा अनावेदक का अहित न हो। जिस पक्षकार के पक्ष में विनिष्चय है उसे उसकी अंतिमता का अहसास हो। विलंब माफी से ऐसी अंतिमता समाप्त हो सकती है।" यदि आवेदकगण के विलंब को क्षमा किया जाता है तो उक्त न्याय दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में अनावेदक क्र0 1 का अहित हेगा । अतः अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड द्वारा पारित किया गया आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड द्वारा पारित आदेश

दिनांक 07.06.2002 एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.2002 समवर्ती निष्कर्ष होने से स्थिर रखा जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर